P: ISSN NO.: 2394-0344
E: ISSN NO.: 2455-0817
Remarking
Vol-II * Issue- IX* February- 2016

स्टार्ट अप इण्डिया : चुनौतियाँ एवं अवसर

गिरधारी लाल मीणा
व्याख्याता,
व्यवसाय प्रशासन विभाग,
एस.एन.के.पी. राजकीय महाविद्यालय,
नीम का थाना, सीकर, राजस्थान

सुरेश ढाका
व्याख्याता,
व्यवसाय प्रशासन विभाग,
एस.एन.के.पी. राजकीय महाविद्यालय,
नीम का थाना, सीकर, राजस्थान

सारांश

लोगों के द्वारा अपनी समस्याओं के समाधान हेतू जो जुगाड या इनोवेटिव तकनीक अपनाई जाती है उनका व्यावसायिक रूप मे लाया जाए इस उददेश्य के साथ 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया योजना का शुभारम्भ किया, युवा उद्यमिया को प्रोत्साहित करने व युवाआ को अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए इस योजना मे सरकार द्वारा अनेक प्रकार के शुल्क म रियायते व कर राहत प्रदान करते हुए 2500 करोड के फंड का निर्माण किया गया है जो 10,000 करोड तक बढाया जाएगा।

ऐसे मे पूर्व स्थापित उद्यमी योजना का अधिकतम लाभ उठाने का प्रयास करगे, जिससे बचने के लिए योजना मे एक दायरा निश्चित किया गया है साथ ही यदि उद्यमी 25 करोड के वार्षिक टर्नओवर को पार करता है तो उसे योजना से बाहर माना जाएगा।

योजना मे अनेक आइडियाज बताए गए है जिन पर काम किया जा सकता है जो स्टार्टअप के दायरे मे माने जाएगे।

नव उद्यमिया को 3 वर्षो तक अनेक विभागीय अनुमति व जाँचो से छूट प्रदान की गई है। सीधे तौर पर किसी प्रकार कर सहायता नव उद्यमियों को न मिलना एक कमी सी है उद्यमी को प्रत्यक्ष कोई नगद सहायता न देना भी एक बडा कारण है जो योजना को प्रभावी नहीं बनाता।

योजना को मजबूती स लागू करने के लिए स्टार्टअप की पहुच जिला स्तर तक की जाए और प्रत्येक जिल मे उद्यमीयो को प्रशिक्षण हेतू संस्थान स्थापित किये जाए।

युवाओ मे नवाचार की भरपूर क्षमता है बस उसे दिशा प्रदान की आवश्यकता है इस योजना के माध्यम से युवाआ को प्रेरित करने का अच्छा प्रयास किया गया है, स्टार्टअप इंडिया यदि सुचारू तरीके से लागू किया गया तो देश के युवाओ को कभी भी रोजगार की कमी नही होगी और देश के विकास को नयी गति मिलेगी।

मुख्य शब्द : नगद भुगतान मोबाइल एप (पे.टी.एम.), एम्पलाइमेंट प्रोविडेन्ट फंड आर्गनाइजेशन (इ.पी.एफ.ओ.), डिर्पाटमेन्ट ऑफ इन्डस्ट्री पॉलिसी एण्ड प्रमोशन (डी.आइ.पी.पी.), सेन्टर वाटर कमीशन (सी.डब्लयू.सी.), चीफ एक्जुकेटीव आफिसर (सी.ई.ओ.), (फॉरेन डायरेक्ट इनवेस्ट (एफ.डी.आइ.)।

प्रस्तावना

अगर किसी युवा के पास कोई बेहतरीन आइडिया है या फिर कोई सपना जिसे पूरा करने का उसमें साहस है और वह अपना सपना साकार करने या अपने आइडिया को व्यावसायिक रूप मे लाने का जज्बा रखता है तो उसे **स्टार्ट अप इंडिया** के सहारे आकार दे सकता है अगर आप ने ठान लिया ता सरकार के साथ–साथ निवेशक भी आपका स्वागत करते नजर आयेंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने युवाओं से *''नौकरी मांगने के बजाय देने का जज्बा''* रखने का आह्वान करते हुए 16 जनवरी 2016 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में नये उद्योगों को प्रोत्साहित करने के अपने महत्वाकांक्षो स्टार्ट अप इंडिया अभियान का एक्शन प्लान जारी करते हुए कहा कि *''नव उद्यम एवं उद्यमी को देश में सम्पत्ति एवं रोजगार सृजन करने के अहम क्षेत्र के रूप में देखा जा रहा है।''*

देश में स्टार्टअप शरू करने का बेहतर समय है। दुनिया तेजी से बदल रही है। सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। जाहिर है आपका एक अच्छा आइडिया न सिर्फ बदलाव की वजह बन सकता ह बल्कि लाखों लोगों के लिए रोजगार का अवसर बन सकता है तो उठा और अपनी क्षमताएँ दिखा दो दुनिया को, कि आप केवल सपने ही नहीं देखते उनको साकार भी करते हैं। इसमें सरकार की स्टार्ट अप इंडिया योजना आपकी सहायता करेगी।

उद्देश्य

नव उद्यमियों को स्टार्टअप योजना के बारे म जानकारी देते हुए नवाचार द्वारा उद्योगा की स्थापना तथा युवाओ को रोजगार सृजित करते हुए देश के विकास मे योगदान हेतु प्रेरित करना इस शोध पत्र का प्रमुख उददेश्य रहा है। इसमे युवाओ को नवाचार द्वारा उद्योग स्थापित करते समय सावधान करने का प्रयास भी किया गया है कि सरकार द्वारा इस योजना मे प्रारम्भ म नव उद्यमियो के लिए विशेष सुरक्षा प्रावधान नही रखे गये है।

क्या है स्टार्ट अप इण्डिया ?

वास्तव मे स्टार्ट अप इण्डिया की प्रक्रिया तो पुरानी है लेकिन सरकार ने इसे नये अन्दाज में पेश किया है। इससे पहले भी भारत में स्टार्ट अप होता रहा है।

दुनिया भर में स्टार्ट अप की तीसरी बड़ी संख्या भारत में है। साल 2010 में भारत में 480 स्टार्ट अप थे। 2014 में इस योजना के जरिए 65000 लोगों को रोजगार मिला। 16 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में नवाचार व उद्यमियों को साहस के साथ व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु सहायता देने के उद्देश्य से योजना का प्रारम्भ करते हुए एक्शन प्लान जारी किया। स्टार्ट अप के अन्तर्गत कोई नया प्रोडक्ट या एकदम नयी तरह की सेवाएं शामिल की गई है साथ ही अगर किसी मौजूदा प्रोडक्ट या सेवाओं में अहम बदलाव किया गया है जिसका फायदा उपभोक्ता को मिल रहा है तो वो भी इसके दायरे में आयेंगे। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग, ओला कैब, पे.टी.एम. आदि।

भारत जसा जुगाड़ दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा। लेकिन हम जुगाड़ से सिर्फ अपनी समस्या का समाधान करते हैं। सबके लिए समाधान पर काम करना होगा और उसे व्यावसायिक रूप देकर नवाचार करना स्टार्ट अप है।

स्टार्ट अप की श्रेणी में अधिकतर उन व्यवसायों को शामिल किया जायेगा जो नवाचार या नये उत्पाद के विकास पर आधारित होंगे। तकनीक पर आधारित नवाचार को स्टार्ट अप पॉलिसी में महत्त्व दिया जायेगा।

स्टार्ट अप इण्डिया योजना का एक्शन प्लान

इस योजना का प्रारम्भ करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जो एक्शन प्लान जारी किया उसके अनुसार स्टार्ट अप योजना के दायरे में आने वाले व्यवसाय व सेवाओं को 3 साल तक स्टार्ट अप यूनिट से होने वाली आय पर छूट मिलेगी एवं अपनी सम्पत्ति बेचकर स्टार्ट अप में निवेश करने पर सम्पत्ति विक्रय पर होने वाले पूंजीगत लाभ पर लगने वाले कर स छूट दी जायेगी साथ ही यह छूट सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उद्यमो के पूँजी काषों के निवेश पर भी उपलब्ध रहेगी। 3 वर्ष तक निरीक्षण से मुक्ति मिलेगी और पर्यावरण कानूनों की अनुपालना के लिए स्वघोषणा ही पर्याप्त होगी। 3 वर्षों तक कर्मचाारी भविष्य निधि, राज्य बीमा कानून, भवन एक विनिर्माण कर्मचारी कानून, कॉन्ट्रेक्ट लेबर कानून, औद्योगिक विवाद कानून से छूट मिलती रहेगी। इनके द्वारा किसी प्रकार का निरीक्षण नहीं होगा।

देश में इनोवेटिव सोच के साथ आने वाले तकनीक आधारित उद्योगों के लिए उदार पेटेन्ट व्यवस्था होगी। पेटेन्ट पंजीकरण में इन उद्योगों को शुल्क में 80 प्रतिशत की छूट दी जायेगी साथ ही ऐसे उद्यमों को सरकारी खरीद एवं ठेके के कई मानदण्डों में भी छूट मिलेगी साथ ही अनुभव एवं कारोबार सीमा के मामले में छूट दी जायेगी।

स्टार्ट अप की फीस 80 प्रतिशत कम होगी। सरकारी खरीद में स्टार्ट अप को विशेष छूट मिलेगी। यदि कोई स्टार्ट अप सफल नहीं हो पाता है तो दिवाला कानून में स्टार्ट अप उद्यमी को कारोबार बन्द करने के लिए सरल निर्गम विकल्प देने का प्रावधान भी किया जायेगा। इसके तहत 90 दिन की अवधि में कारोबार बन्द किया जा सकगा।

वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शुरुआत 2500 करोड़ से होगी जिसे अगले 4 वर्षों में 10000 करोड़ तक ले जाया जायेगा। कोषों का प्रबन्धन निजी क्षेत्र के पेशेवर करेंगे जबकि जीवन बीमा निगम कोषों में सहनिवशक होगा। 1 अप्रैल से स्टार्ट अप मोबाइल एप्लीकेशन पर भी उपलब्ध होगा।

स्टार्ट अप व्यवसाय व उद्यमियों के विकास में किस प्रकार सहायक है?

स्टार्ट अप में व्यवसायी के सामने मुख्य चुनौतियाँ अपने उत्पाद का पेटेन्ट कराना साथ ही नवाचार को व्यावसायिक रूप देने से पूर्व अनेक प्रकार की अनुमतियाँ प्राप्त करना है। जिसकी वजह से कई उद्यमी अपना व्यापार ही प्रारम्भ नहीं कर पाते।

प्रधानमंत्री की स्टार्ट अप इण्डिया योजना में इन बाधाओं को दूर करने का प्रयास किया गया है। स्टार्ट अप को 3 साल तक ई.पी.एफ.ओ. और ई.एस.आई.सी. के पास न तो रिटर्न फाइल करना पड़ेगा और न ही ये संगठन इनको जांच करेगे। साथ ही कर्मचारी भविष्य निधी जैसे 9 कानूनों से स्टार्ट अप को 3 वर्ष तक कोई निरीक्षण नहीं करके एक सीमा तक राहत प्रदान की गयी है। पेटेन्ट पंजीकरण को आसान बनाया गया है। पंजीकरण शुल्क में 80 प्रतिशत छूट नव उद्यमी के लिए जबरदस्त सहायता है।

स्टार्ट अप अपने आप में एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमे साइबर सिक्यारिटी, हैण्डीक्राफ्ट उत्पाद, अनाज, फल, सब्जी, सुरक्षा के क्षेत्र में नवाचार संचार, परिवहन उत्पादन वृद्धि के क्षेत्र में नवाचार को सहायता मिलेगी।

पूर्व स्थापित बड़े उद्योग एवं उद्यमियों से बचाव के लिए इसमें कुछ शर्तें लागू की हैं जिससे स्टार्ट अप उद्यमियों को लाभ हो। जैसे 25 करोड़ तक बेरियर होना, इससे अधिक टर्नओवर पर स्टार्ट अप उद्यम से बाहर होगा।

वैश्विक स्तर पर पहचान बनाने लायक स्टार्टअप को चयनित कर 10 करोड की सहायता प्रदान की जायेगी, जिससे प्रत्येक उद्यमी प्राप्त करने का प्रयास करगा और स्टार्टअप के लिए 10 करोड की सहायता उनके व्यवसाय को आर्थिक मजबूती प्रदान करेगीं।

स्टार्टअप का दायरा

प्रत्येक उद्यमी चाहेगा की उसे इस योजना के सभी लाभ प्राप्त हो इसके लिए वा हर संभव प्रयास भी करेगा परन्तु स्टार्टअप योजना का लाभ वास्तव में नवाचार करने व नव उद्यमियों को ही प्राप्त हों इसके लिए इस योजना के अर्न्तगत स्टार्टअप मे आने वाले उद्यमियों के लिए सीमा निर्धारित की गयी है ।

1. उसे एक एंटिटी के तौर पर किसी एक प्रकार से रजिस्र्टड होना चाहिए।
   a. कंपनी कानून 2013 के तहत प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर।
   b. भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के तहत लायबिलटी के तौर पर।
2. लिमिटेड लायबिटी पार्टनर एक्ट 2008 के तहत चालू होने या रजिस्ट्रेशन की तारीख को पाँच साल पूरे नही होने चाहिए।
3. वार्षिक टर्नओवर किसी भी वित वर्ष मे 25 करोड से अधिक न हो।
4. स्टार्टअप को नवाचार, विकास या नए उत्पाद के व्यावसायिक तकनीक या बौद्धिक सम्पदा द्वारा प्रकिया या सेवा मे संलग्न होना चाहिए।
5. स्टार्टअप का उद्देश्य लघु उद्यमों कों विकसित और वाणिज्यकरण करना होंना चाहिए।
6. एक नया उत्पाद या सेवा एवं प्रक्रिया।
7. मौजूदा उत्पाद या सेवा एवं प्रक्रिया का महत्वपर्ण सुधारात्मक रुप जो ग्राहको मे वेल्यू एड करता है।

स्टार्टअप ऐसे नहीं होने चाहिए–

1. एक नया उत्पाद या सेवाए जिनमे वाणिज्यकरण की क्षमता ना हो।
2. गैर विभिन्नता वाले उत्पाद, सेवाएं या प्रक्रिया।
3. मौजूदा व्यवसाय को विभाजित या पुर्ननिर्माण द्वारा स्थापित नयी इकाई को स्टार्टअप नहीं माना जाएगा।

डी.आइ.पी.पी. द्वारा गठित अंतर मंत्रालीय बोर्ड द्वारा प्रदत प्रमाण पत्र हासिल करने वालो को स्टार्टअप माना जाएगा, यह प्रमाण पत्र व्यापार की नवाचार प्रकृति को प्रमाणित करेगा।

भारत मे पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज म स्थापित किए गए इनक्यूवेटर से समर्थन हासिल करने वाले कों भी स्टार्टअप माना जाएगा।

भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त इनक्यूवेटर द्वारा समर्थित इकाई को स्टार्टअप माना जाएगा।

सेबी के साथ रजिस्टर्ड इनक्यूवेशन फंड, एंजेल फंड, प्राइवेट इक्विटी फंड, एजेल नेटवर्क से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाल को भी स्टार्टअप माना जाएगा।

इनोवेशन को प्रोत्साहित करने वाली किसी भी सरकारी योजना के तहत सहायता प्राप्त करने वाला भी स्टार्टअप माना जाएगा।

स्टार्टअप की मदद करने के लिए आपका उत्पाद या सेवाए एकदम नई व अलग होनी चाहिए जो ग्राहकों के लिए लाभदायक होनी चाहिए।

स्टार्टअप की श्रेणी में अधिकतर उन व्यवसाय को शामिल किया जाएगा जो नवाचार या नए उत्पाद के विकास पर आधारित होगे, तकनीक आधारित प्रोजेक्ट को स्टार्टअप पॉलिसी म महत्व दिया जाएगा।

विश्लेषण

भारत म स्टार्टअप की संख्या भले ही तजी से बढ रही हो, इनोवेटिव देश के रूप मे हम बहुत पीछे है। ब्लूमबर्ग ने 50 देशों का एक इनोवेशन इंएडेक्स तैयार किया है। इसमे भारत 45 वें नम्बर पर है। विचारो की इस दुनिया में दक्षिण कोरिया शीर्ष पर है। चीन 21 वें नम्बर पर है। इंडेक्स बनाने के लिए अनुसंधान एवं विकास, उच्च तकनीक की मैन्यु फैक्चरिंग, उत्पादकता और पेटेंन्ट जैसी बातो पर गौर किया गया है। एक और अन्य पैमाना है। उच्च शिक्षा मे छात्रो का प्रतिशत और विज्ञान एवं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट की संख्या। उच्च शिक्षा और वैल्यू एडेड मैन्यु फैक्चरिंग मे दक्षिण कोरिया अव्वल है। हांलाकि उत्पादकता के मामले में दक्षिण कोरिया बहुत पीछे 39 वें नम्बर पर है। दक्षिण कोरिया मे नये विचारो को विकसित करने का पूरा मौका मिलता है। आप किसी कम्पनी मे वैज्ञानिक या इंजीनियर है और आपके पास बेहतरीन आइडिया है तो आप बिना नौकरी छोड अपनी कम्पनी शुरू कर सकते है। पुरानी कम्पनी आपको फंड दिलाने मे मदद करेगी जबकि भारत मे ठीक इसके विपरीत परिस्थितियाँ है। जब आप किसी कम्पनी मे साझेदार या कर्मचारी के रूप मे कार्य करते है तब तक आप उसी प्रकृति का व्यावसाय निजी तौर पर संचालित भो नही कर सकते है।

एक अध्ययन के अनुसार जुलाई–सितम्बर 2015 मे देश मे स्टार्टअप म करीब 20000 करोड रु वचर कैपिटल का निवेश हुआ था, लेकिन दिसम्बर तिमाही मे यह घटकर 10000 करोड रह गया इसकी वजह है स्टार्टअप की आसमान छूती मूल्याकंन और बिजनेस मे घाटा। कम निवेश का मतलब है कि इनोवेटिव विचारों को मौका नहीं मिलना। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम मे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 10000 करोड रूपये के विशेष फण्ड की घोंषणा की थी जो भारत जैसे विशाल देश म स्टार्टअप लेने वाले करोडो निवेशका के लिए ''ऊट के मुँह मे जीरा'' जैसी कहावत को चरितार्थ करती है। सरकार ने स्टार्टअप को मुनाफे और कैपिटल गेन्स पर तीन साल तक छुट देने की घोंषणा की है लेकिन हकीकत है कि फ्लिपकार्ट और स्नैपडील समेत ज्यादातर स्टार्टअप घाटें मे है।

अगर कोई व्यक्ति अपनी स्थायी समपत्ति विक्रय करता है तो वर्तमान नियमो के अनुसार उसे 3–6 माह के भोतर उसे पुनः स्थायी समपत्ति क्रय कर विनियोजित करना पडता है अन्यथा उसें 30 प्रतिशत तक सरकार को टैक्स चुकाना पडता है। स्टार्टअप जैसी योजना मे उसे स्थायी समपत्ति के विक्रय से प्राप्त धन स्टार्टअप जैसी योजना म पुनः विनियोजित करने पर उसे न केवल 30 प्रतिशत टैक्स चुकाने से मुक्ति मिलती है बल्कि भविष्य मे भी 3 वर्षों तक कैपिटल गेन्स पर कोई टैक्स भी नहीं देना पडता, परन्तु स्टार्टअप मे नवाचारों को महत्त्व देते हुए विनियोग खतरे से खाली नही होता, एक नये व्यवसायी के लिए नये क्षेत्र मे व्यापार मे सफलता प्राप्त करना बहुत ही जोखिम भरा कदम है, ऐसे मे व्यक्ति अपनी स्थायी समपत्ति विक्रय के उपरान्त रसातल मे जाने की सम्भावनाएं भी प्रबल है।

दुनिया की पाँच सबसे अधिक संभावनाओं वाली अर्थव्यवस्थाओं मे भारत भी शुमार है। यहां घरेलू और अन्तराष्ट्रोय कंपनियों के लिए काफी मौके है। वैश्विक सलाहकार फर्म सी.डब्ल्यू.सी. ने 83 देशों के 1409 सी.ई.ओ. से बातचीत के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की है इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक म जारी किया गया। साल भर पहले 37 प्रतिशत सी.ई.ओ. ने कहा था कि 2016 मे वैश्विक हालत सुधरेगे जिससे लगता है कि स्टार्टअप इंडिया को गति मिलने की प्रबल संभावनाए है।

लेकिन अब ऐसा मानने वाले सिर्फ 27 प्रतिशत है। हालात और खराब होगे ऐसा सोचने वाले 17 प्रतिशत से बढकर 23 प्रतिशत हो गये है।

सुझाव

स्टार्टअप इंडिया की सफलता न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगी बल्कि हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर तथा रोजगार युक्त बनाने की कसौटी पर खरा उतरेगी लेकिन उसमें अभी बहुत ज्यादा सरकारी सहयोग तथा प्रयासों की आवश्यकता है। जिन पर ध्यान दिये बिना सफलता संभव नहीं है।

1. सवप्रथम सरकार को केन्द्र व राज्य सरकारो को चाहिए कि जिला उघोग केन्द्रो की तर्ज पर ''स्टार्टअप कौंसिल'' का गठन कर नवाचार तथा नव तकनीक व्यावसाय क बारे में अभिप्ररेणा तथा प्रशिक्षण प्रदान करे जिससे नव निवेशको का मनोबल उच्च बने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सकारात्मक प्रयास करे।
2. केन्द्र सरकार ने स्टार्टअप योजना मे 10,000 करोड के फण्ड का प्रावधान किया है। जो बहुत ही कम प्रतीत होती है। इसमे केन्द्र सरकार राज्य सरकारो को भी इसके लिए फन्ड का निर्माण करने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करें तथा स्वय भी अपनी फण्ड सीमायें बढायें।
3. भारतीय तकनीक स्नातक युवाओं मे नवाचार की भरपूर क्षमता है लेकिन आवश्यकता है उनकी इस प्रतिभा को बाहर निकालने के लिए समन्वित सरकारी प्रयासा की।
4. सरकार और बैकिंग तंत्र दोनों को चाहिए कि स्टार्टअप लेने वाले उद्यमी को आधारभूत संसाधन उपलब्ध कराये।
5. भारतीय घरेलू बाजार मे नव उत्पाद नव तकनीकी की अत्यधिक माँग है जिससे स्टार्टअप को मजबूती मिलेगी लेकिन इससे एफ.डी.आई. को कोषों दूर रखना पडगा।
6. घाटे में चल रहे लघु एवं मध्यम उपक्रमो को भी स्टार्टअप इंडिया में पुनः पंजीकरण कराके पुनजोवित करने का प्रयास भी एक सराहनीय कदम रहेगा।

निष्कर्ष

नवाचार और नवीन तकनीक के आधार पर स्टार्टअप लेने से एक व्यक्ति की सफलता संदिग्ध है इसमे भारतीय अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए पूर्व मे स्थापित उद्यमियों को स्टार्टअप से जोडना अति आवश्यक है। लेकिन इसमे पुराने व्यवसायी, सरकारी उद्देश्यों से भटक कर अपने काले धन को सफेद धन म परिवर्तित करने का स्टार्टअप के माध्यम से सफल प्रयास करगे। जिसमे न केवल अपने कैपिटल गेन्स म बढोत्तरी करगे बल्कि टैक्स चोरी करक आगामी 3 सालों मे अपना नाम बडे पूँजीपतियों की सूची म शामिल करने की होड म रहेगे हालांकि सरकार ने यह प्रयास किया है कि वार्षिक टर्नओवर 25 करोड से अधिक होने पर उसे स्टार्टअप से बाहर कर दिया जायेगा, लेकिन 25 करोड का टर्नओवर भी एक छोटी धनराशि नही है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1 Start up sutra: what the Angels want teel you about Business and life.
2 Bill robb (2015) –start up : Essential Startup Guide
3 Steve Blank (2014) The start up owner's Manual
4 Resrearch paper by Cathy Castillo (june 2011) Researchers : what is the structure of a suceestul Start up?
5 News papers: Hindustian Times, Times of india, Rajasthan Patrika, Dainik Bhaskar.
6 www.times of india
7 News 24online